न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 05/2020 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2020/00006

1. जोधराज पुत्र मन्नालाल जाट
2. जुगलकिशोर पुत्र भंवरलाल खाती
3. गफूर सिंह पुत्र जगन्नाथ जाट
4. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल जाट
5. दुर्गाशंकर पुत्र मन्नालाल जाट

समस्त निवासीगण ग्राम हीरियाखेडा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, अधिकारी रामगंजमण्डी, कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये वीरेन्द्र सिंह महाप्रबन्धक (तक) एवं प्रोजेक्ट डायरेक्ट परियोजना कार्यानवयन ईकाई (एन एच –52) ए–504, इन्द्रा विहार, कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3–जी–5 अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्था पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2

निर्णय

दिनांक :– 25.04.2022

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के चौड़ीकरण हेतु अन्य भूमियों के साथ साथ ग्राम हीरियाखेडी उप तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 40 की रकबा 0.0047 हे0 भू–अवाप्ति/2017/563–66 दिनांक 20.9.2017 में ग्राम हीरियाखेडी के अवार्ड जारी किया गया । उक्त जारी अवार्ड की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2020 को प्रस्तुत किया गया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एड0 विकास सोनी जर्ये महेन्द्रा कुमारी वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित

जिला कलेक्टर
कोटा

। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम हीरियाखेडी में उप तहसील चेचट के यहां से प्रार्थीगण द्वारा डीएलसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जिसमें वर्ष 2016 में सिचित आराजी 17,63,307/– प्रति हे0 तथा असिंचित आराजी 15,55,893/– प्रति हे0 सडक सीमा से 500 मीटर के अन्दर कायम की गयी है । वर्तमान में अधिग्रहण की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग–5 लाईन (52) में सिंचित भूमि की 871,298/– तथा असिंचित भूमि की 7,05253/– आंककर राशि दी जा रही है जो वर्ष 2016 की डी एल सी दर से काफी कम है । उप पंजीयक चेचट के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी की अवाप्त भूमि की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है जबकि अप्रार्थी द्वारा केवल सिंचित भूमि की 8,71,298/– तथा असिंचित भूमि की 7,05,353/– प्रति हे0 की दर से मुआवज दिया जाना तय किया जा रहा है । प्रार्थीगण नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 की धारा 7 के मुताबिक प्रश्नगत भूमि की मार्केट वेल्यू व वर्तमान डी0एल0सी0 दर से मुआवजा पाने के अधिकारी है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि के संबंध में वर्तमान डी एल सी दर से मुआवजा निर्धारित कर दिलवाये जाने की आज्ञा फरमाई जावें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 2 एन0एच0ए0 आई0 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि वाके ग्राम हीरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 289.500 कि.मी. से 318.500 कि.मी. (दरा–तीनधार सेक्शन) तक के भूखण्ड निमार्ण (चौडीकरण /4–लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु प्रार्थी की अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.2305(अ) दिनांक 21.07.2017 को जारी की जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में 03.08.2017 व दैनिक भास्कर में दिनांक 04.08.2017 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की प्रार्थीगण की भूमि जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मूल्य एवं निमार्ण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीसलसी दर के आधार पर की गई है । केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना 3ए वक्त भूमि की किस्म अनुसार प्रतिकर की राशि का निर्धारण किया किया जाकर RFCTLARR Act 2013 के तहत किया गया है । अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है । अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सकें । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें । प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । सक्षम प्राधिकारी

जिला कलेक्टर
कोटा

(भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम हीरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी में प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 289.500 कि.मी. से 318.500 कि.मी. (दरा–तीनधार सेक्शन) तक के भूखण्ड निमार्ण (चौडीकरण /4–लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु अवाप्त की गई थी वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रार्थना पत्र के साथ एवं दौराने बहस प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मुआवजा कम दर से दिया गया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड आदेश अनुसार भूमि का मुआवजा 3ए के समय प्रचलित डीएलसी दर से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत ही तय किया जाना प्रतीत होता है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा